



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 25.07.2021

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव

पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसका प्रेमी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को किया गया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण- वादी कृष्ण कुमार पुत्र स्व० सुखदीन नि० ग्राम तलिहाई थाना बारासगवर जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 22.07.2021 को थाना बारासगवर पर मु०अ०सं० 105/21 धारा 302 भा०दं०वि० पंजीकृत कराया गया। वादी द्वारा आरोप अंकित किया गया कि उसके भाई सन्त कुमार उम्र करीब 45 वर्ष की हत्या उसकी पत्नी सोनी देवी व उसके मिलने वालों ने कर दी है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि मृतक कि पत्नी सोनी देवी का प्रेम संबन्ध उसके दूर के रिश्तेदार सुनील कुमार पुत्र विशम्भर लोध नि० बंदीपुर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव से करीब 04 वर्ष से था। जिसको लेकर सन्त कुमार और उसकी पत्नी सोनी देवी में अक्सर विवाद होता रहता था। इसी कारण दिनांक 21.07.2021 की रात सोनी देवी और उसके प्रेमी सुनील कुमार ने मिलकर मृतक की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनो अभियुक्तों को आज दिनांक 25.07.2021 को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. सोनी देवी पत्नी स्व० सन्त कुमार नि० ग्राम तलिहाई थाना बारासगवर जनपद उन्नाव
2. सुनील पुत्र विशंभर नि० बंदीपुर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. प्र०नि० राकेश कुमार सिंह थाना बारासगवर
2. का० नरेन्द्र यादव
3. का० दुष्यंत कुमार
4. म०का० शिवानी देवी
5. हे०का० चालक घनश्याम सिंह

